प्रशासनिक कार्यालय जनपद न्यायाधीश, सम्भल, स्थित चन्दौसी।

प्रशासनिक आदेश संख्या : 154/2020, दिनांक–21.07.2020

आदेश

जिलाधिकारी, सम्भल की ओर से अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0), जनपद सम्भल के ई–मेल के माध्यम से आज दिनांक–21.07.2020 को सायंकाल में 06.10 बजे प्राप्त पत्र सं0–1337/एस0टी0/कोविड–19/सूचना/2020–21 दिनांकित–21.07.2020 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि श्री शशिधर पुत्र श्री रोशन लाल, उम्र 35 वर्ष, निवासी सामु0 स्वा0 केन्द्र कैम्पस, वार्ड 05, गुन्नौर का सैम्पल कोविड--19 की जांच हेतु दिनांक–14.07.2020 को लिया गया था, जिनकी जांच रिपोर्ट दिनांक–17.07.2020 को पॉजिटिव आने के कारण शासनादेश के अनुसार बाह्य न्यायालय गुन्नौर, जनपद सम्भल दिनांक–27.07.2020 तक कन्टेनमेन्ट जोन में रहेगा। उपरोक्त पत्र के साथ जिलाधिकारी, सम्भल को सम्बोधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सम्भल के उपरोक्त आशय के पत्र दिनांकित–21.07.2020 की प्रति भी संलग्न की गयी है।

अतः जिलाधिकारी, सम्भल की ओर से प्राप्त उपरोक्त पत्र सं0–1337 दिनांकित–21.07.2020 के आधार पर, माननीय उच्च न्यायालय के पत्र सं0–1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated 03-06-2020 के पैरा सं0–14 में दिए गए निर्देशानुसार, बाह्य न्यायालय गुन्नौर कल दिनांक–22.07.2020 से दिनांक–27.07.2020 तक कन्टेनमेन्ट जोन में बने रहने के कारण बन्द रहेगा तथा गिरफ्तार व्यक्तियों के रिमाण्ड एवं बेल के मामलों से संबंधित कार्य उसी प्रकार किया जायेगा, जैसे कि अवकाश के दिनों में किया जाता है।

इस आदेश की प्रति जनपद न्यायालय, सम्भल स्थित चन्दौसी की वेबसाइट पर अपलोड की जाये।

AKTripathi

(अश्विनी कुमार त्रिपाठी)
जनपद न्यायाधीश,
सम्भल स्थित चंदौसी।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. पीठासीन अधिकारी, बाहय न्यायालय, गुन्नौर,
2. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सम्भल स्थित चन्दौसी,
3. जिलाधिकारी, सम्भल,
4. पुलिस अधीक्षक, सम्भल,
5. मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्भल
6. अध्यक्ष/सचिव, बार वैलफेयर एसोसियेशन तहसील गुन्नौर, जिला सम्भल,
7. संयुक्त निदेशक अभियोजन, सम्भल,
8. अधीक्षक, जिला कारागार, मुरादाबाद।

AKTripathi

जनपद न्यायाधीश,
सम्भल स्थित चंदौसी।

Scanned by CamScanner